ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00068

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 19/2017

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. बलकार सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत 18 जैड पंचायत समिति/तहसील श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत 18 जैड़ जिसकी रूह से प्लाट संख्या 06–बी भाग गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 के नाम से दिनांक 02.12.1987 को आवंटन किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1. श्री ओम प्रकाश बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. गैरनिगरानीकर्ता उपस्थित नही

:: आदेश ::

दिनांकः 04.02.2026

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पूर्व में अहाता संख्या 06–बी निगरानीकर्ता के पिता द्वारा खरीद किया गया था। जिसका कब्जा भी निगरानीकर्ता के पिता पास था मगर बाद में ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही उपरोक्त प्लाट गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को अलाट कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति इस गाव में नहीं रहा है, इसलिए कानूनन उसे पट्टा आवंटन नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम व कानून की पालना ना कर गैरकानूनी तरीके से आवंटन किया गया है। आवंटन की जानकारी कुछ रोज पूर्व हुई थी, हालांकि निगरानी प्रस्तुत करने में कोई मियाद नहीं होती है फिर भी निगरानी के साथ मियाद प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि हुक्म अदालत मातहात का गैर कानूनी है वह दौबारा गौर मिसल के है। नकल फैसला शामिल निगरानी हाजा है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया ना ही मौका की जांच की और ना ही आस पड़ोस से साक्ष्य लिये गये और ना ही मौका पर जांच की गई कि गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 इस गांव

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

में रहता है या नही ? इसलिए कानून उसके नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।

3. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कोई अखबार में छाया करवाया गया ना ही कोई नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रकाशित की गई और ना ही कोई निलामी की सूचना दी गई ओर ना ही कोई नोटिस जारी किया गया, जबकि नियम के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि पूर्व में निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है इसलिए निगरानीकर्ता को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि गैरनिगरानीकर्ता इस गांव में नहीं रहता है ना तो उसका कोई वोटर लिस्ट में नाम है ओर ना ही उसका राशन कार्ड है वह कभी भी इस गांव में नहीं रहा है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करके कानूनी भूल की है। इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को अहाता संख्या 6 बी साईज 40X100 फीट कुल 4000 वर्गफीट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निःशुल्क आवंटन किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को 4000 वर्गफीट आवंटन करने का अधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को मात्र 30X40 फीट का ही निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख में पट्टा जारी करने की तारीख , निलामी की तारीख, ग्राम पंचायत की संकल्प संख्या/आज्ञा संख्या की तारीख आदि एक ही दिनांक 02.12.1987 अंकित की गई है, जबकि नियमानुसार मिसल तैयार की जाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया जाता है तथा पट्टा आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से पट्टा जारी करने तक करीबन 3 माह तक अलग–अलग तारीखों में तमाम प्रकिया पुरी करने के पश्चात पट्टा जारी किया जाता है तथा हर कार्यवाही अलग–अलग तारीखों में की जाती है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन में तमाम कार्यवाही कर पट्टा गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

लिहाजा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत 18 जैड का प्लॉट नम्बर 6–बी गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 बलकार सिंह के नाम से दिनांक 02.12.1987 का आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गैरनिगरानीकर्ता जरिये सम्मन तलब किया गया। मुताबिक तामिल कुनिन्दा रिपोर्ट गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 गांव में आबाद नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया । बावजूद रजि0 नोटिस उपस्थित नहीं आया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 ग्राम 18 जैड में निवास नहीं करता है, ना तो उसका कोई वोटर लिस्ट में नाम है ओर ना ही उसका राशन कार्ड है वह कभी भी ग्राम 18 जैड में नहीं रहा है बावजूद इसके भी ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत 18 जैड द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को अहाता संख्या 6 बी साईज 40X100 फीट कुल 4000 वर्गफीट निःशुल्क आवंटन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत 18 जैड को 4000 वर्गफीट आवंटन करने का अधिकार ही नहीं था। ग्राम पंचायत केवल मात्र 30X40 फीट का ही निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार रखती है। ग्राम पंचातय द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख में पट्टा जारी करने की तारीख , निलामी की तारीख, ग्राम पंचायत की संकल्प संख्या/आज्ञा संख्या की तारीख आदि एक ही दिनांक 02.12.1987 अंकित की गई है, जबकि पट्टा आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से पट्टा जारी करने तक करीबन 3 माह तक अलग–अलग तारीखों में तमाम प्रकिया पुरी करने के पश्चात पट्टा जारी किया जा सकता है तथा हर कार्यवाही अलग–अलग तारीखों में की जाती है, परन्तु ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में तमाम कार्यवाही कर पट्टा गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है, इसलिए भी ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के नाम जारी पट्टा दिनांक 02. 12.1987 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत 18 जैड द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को अहाता संख्या 6 बी साईज 40X100 फीट कुल 4000 वर्गफीट निःशुल्क आवंटन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत 18 जैड को 4000 वर्गफीट आवंटन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी में निःशुल्क आवासीय भूखण्ड साईज 30X50 वर्गफुट कर सकती है जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 किसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगर की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निःशुल्क पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता था। ग्राम पंचातय द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख में पट्टा जारी करने की तारीख , निलामी की तारीख, ग्राम पंचायत की संकल्प संख्या/आज्ञा

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या की तारीख आदि एक ही दिनांक 02.12.1987 अंकित की गई है, जबकि पट्टा आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से पट्टा जारी करने तक करीबन 3 माह तक अलग–अलग तारीखों में तमाम प्रकिया पुरी करने के पश्चात पट्टा जारी किया जा सकता है तथा हर कार्यवाही अलग–अलग तारीखों में की जाती है, परन्तु ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में तमाम कार्यवाही कर पट्टा गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा दिनांक 02.12.1987 को जारी होना बताया गया है, जो पूर्णतयाः ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1997 के तहत बने नियमों के विपरीत है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 02.12.1987 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (प्र.)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्र.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner